कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना–स्था/2018 दिनांक 24.5.2018 द्वारा श्री हजारी लाल यादव प्रधानाचार्य राउमावि–डूमरोली अलवर का स्थानान्तरण राउमावि–बसेठ कठूमर अलवर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री हजारी लाल द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में अपील संख्या 651/2018 हजारी लाल यादव बनाम सरकार दायर की गई।

अपील संख्या 651/2018 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.06.2018 द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, मुख्यतः अपीलार्थी की सहमति को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में उसे प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष दिनांक 27.06.2018 तक अभ्यावेदन पेश करने और अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में उसे सक्षम अधिकारी द्वारा राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 10.07.2018 तक एक आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को देने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए। माननीय अधिकरण द्वारा आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 19.05.2018 एवं 24.05.2018 का क्रियान्वयन अपीलार्थी के सम्बन्ध में उसके अभ्यावेदन निस्तारण तक स्थगित रखा गया।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उनकी सेवानिवृति में केवल 2 वर्ष से कम समय शेष होने और वर्तमान स्थानान्तरित स्थान के करीब 158 किमी दूर होने के मध्यनजर स्वयं के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.05.2018 को निरस्त करने की परिवेदना की गई।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभागीय दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में गहनता से परीक्षण किया गया व उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी जो एक राज्य सेवा के अधिकारी हैं जिसे नियोक्ता द्वारा प्रशासनिक आधार पर/छात्र एवं राज्य हित में राज्य में कही पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। अतः इस आधार पर चाहा गया अनुतोष देय नहीं है। इसी अनुरूप श्री हजारी लाल यादव प्रधानाचार्य राउमावि–डूमरोली अलवर को निर्देशित किया जाता है कि वे विभागीय आदेश दिनांक 24.05.2018 की अनुपालना में राउमावि–डूमरोली अलवर से कार्यमुक्त होकर राउमावि–बसेठ, कठूमर जिला अलवर में प्रधानाचार्य के पद पर दिनांक 02.08.2018 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें एवं कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/651/2018 दिनांक 28.07.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा,राजस्थान सरकार जयपुर।
2. सम्बन्धित उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, अलवर को पाबन्द कर निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित कार्मिक/याचिकार्थी को आदेश की पालनार्थ।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना.स्था./2018 दिनांक 19.05.2018 द्वारा श्री रामलाल मेघवाल प्रधानाचार्य, राउमावि–उन्दरा सिरोही का स्थानान्तरण राउमावि–राणेरी, बाप जिला जोधपुर किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध श्री रामलाल द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील सं 669/2018 श्री रामलाल मेघवाल बनाम श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा दायर की गई जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.06.2018 द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 19.05.2018 का क्रियान्वयन अपीलार्थी के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण की आगामी सुनवाई तक स्थगित किया है।

माननीय अधिकरण द्वारा जारी उक्त अंतरिम आदेश के क्रम में श्री रामलाल मेघवाल प्रधानाचार्य के संबंध में जारी उक्त आदेश दिनॉक 19.05.2018 को माननीय अधिकरण की आगामी सुनवाई तक स्थगित किया जाता है। अतः श्री रामलाल मेघवाल माननीय अधिकरण के आगामी आदेशों के अध्याधीन राउमावि–उन्दरा सिरोही में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहेंगे।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक 27.07.18

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/669/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा ,राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर/पाली ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा जोधपुर/सिरोही।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित कार्मिकों को आदेश की पालनार्थ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना-स्था/2018 दिनांक 24.5.2018 द्वारा श्री जहीर अहमद खान प्रधानाचार्य राआउमावि-बूंगी, चुरू का स्थानान्तरण राउमावि-नानूवाला, रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री जहीर अहमद ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 8799/2018 जहीर अहमद खान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की।

याचिका संख्या 8799/2018 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.06.2018 द्वारा याचिकार्थी श्री जहीर अहमद की याचिका को निस्तारित करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को विधि अनुसार कन्सीडर करते हुए जरिए स्पीकिंग ऑर्डर 30 दिन में निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण तक विभागीय स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.5.2018 का प्रभाव एवं कियान्वयन याचिकार्थी के सम्बन्ध में उनके अभ्यावेदन निस्तारण तक स्थगित किया गया।

माननीय न्यायालय निर्णय के कम में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में उनकी सेवानिवृति में केवल एक वर्ष का समय शेष होने और वर्तमान स्थानान्तरित स्थान के करीब 400 किमी दूर होने के मध्यनजर स्वयं का पदस्थापन राउमावि-बूंगी चुरू, राउमावि-चुबकिया ताल, चुरू अथवा राउमावि-रावतसर कुन्जला, चुरू किये जाने की परिवेदना की गई।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभागीय दिशा-निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में गहनता से परीक्षण किया गया व उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। याचिकार्थी द्वारा अपने अभ्यावेदन में चुरू जिले में चाहे गए विद्यालयों में प्रधानाचार्य का पद रिक्त नहीं है। माननीय न्यायालय निर्णय, याचिकार्थी की विकट पारिवारिक परिस्थितियों और उनकी सेवानिवृति में केवल एक वर्ष का ही समय शेष रहने को मध्यनजर रखते हुए, प्रदत्त निर्देशों की पालना में याचिकार्थी श्री जहीर अहमद खान, प्रधानाचार्य राउमावि-बूंगी, चुरू का पदस्थापन राउमावि-मालसर, सरदारशहर चुरू किया जाकर अभ्यावेदन को निस्तारित किया जाता है। श्री जहीर अहमद को आदेशित किया जाता है कि वे दिनांक 01.08.2018 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः-शिविरा-मा./संस्था/बी-2/याचिका/8799/2018 — दिनांक 27.07.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा,राजस्थान सरकार जयपुर।
2. सम्बन्धित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, चुरू/बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा,चुरू/गंगानगर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा-जोधपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित कार्मिक/याचिकार्थी को आदेश की पालनार्थ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक कार्मिक

Scanned by CamScanner

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

<u>कार्यालय आदेश</u>

माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर एस बी सिविल याचिका संख्या 9047/2018 श्रीमती सुमन शेखसरिया बनाम सरकार प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2018 में प्रार्थी को अप्रार्थीगण के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश करने और अप्रार्थीगण द्वारा उक्त अभ्यावेदन को माननीय न्यायालय की जोधपुर पीठ द्वारा पूर्व निर्णीत प्रकरण याचिका संख्या 9371/2014 शिव प्रसाद निमिवाल बनाम राजस्थान सरकार और याचिका संख्या 15668/2012 मोनिका मील बनाम श्रीमान उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा, जयपुर में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जरिए सकारण स्पीकिंग ऑर्डर 6 सप्ताह के भीतर निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

प्रार्थी को जरिए काउन्सलिंग उनके सहमति पत्र में अंकित विकल्प के आधार पर कार्यालय आदेश कमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य डीपीसी 17–18/2017 दिनांक 13.07.2017 द्वारा राउमावि–फौगा, सरदारशहर चुरू में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर पदस्थापित किया गया था जहां पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 14.07.2017 को कार्यग्रहण कर लिया गया किन्तु गृह जिले में पदस्थापन न मिलने के कारण प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका दायर की गई।

याचिका संख्या 9047/2018 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के कम में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपनी विकट पारियारिक परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अपना पदस्थापन अपने गृह जिले झुन्झुनु में प्रधानाचार्य के किसी रिक्त पद पर करने की परिवेदना की गई।

याचिकार्थी से सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया और माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व निर्णीत प्रकरणों शिव प्रसाद निमिवाल व मोनिका मील के परिप्रेक्ष्य में माननीय न्यायालय के निर्णयों का अवलोकन किया गया। उक्त दोनों ही प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा पदस्थापन के समय वरीयता को प्राथमिकता देने हेतु निर्देशित किया गया था। प्रार्थी का पदस्थापन भी वरीयतानुसार ही किया गया था और उनके द्वारा अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान हेतु विकल्प पत्र पेश कर सहमति प्रदान की गई थी। चूंकि विभागीय आदेश दिनांक 19.05.2018 द्वारा श्रीमती सुमन शेखसरिया का स्थानान्तरण राउमावि–फौगा, सरदारशहर चुरू से राउमावि–निराधनू, झुन्झुनु किये जाने पर याचिकार्थी को वांछित अनुतोष प्राप्त हो चुका है और उनके द्वारा उक्त स्थान पर कार्यग्रहण भी किया जा चुका है, अतः प्रकरण में अब कोई विवाद शेष नहीं है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/सुमन शेखसरिया/याचिका/9047/2018 दिनांक 28.07.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा,राजस्थान सरकार जयपुर।
2. सम्बन्धित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, चुरू ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, चुरू/झुन्झुनु।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित कार्मिक/याचिकार्थी।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना–स्था/2018 दिनांक 24.5.2018 द्वारा श्रीमती ममता भारद्वाज प्रधानाचार्य राजकीय एस.बी.के.बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भरतपुर का स्थानान्तरण राआउमावि–उमरेड, वैर, भरतपुर किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती ममता भारद्वाज द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11820/2018 ममता भारद्वाज बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की।

याचिका संख्या 11820/2018 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.07.2018 द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 24.05.2018 एवं याचिकार्थी के कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 25.05.2018 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया है।

अतः माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में श्रीमती ममता भारद्वाज माननीय न्यायालय के आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्याधीन राजकीय एस.बी.के.बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहेंगी एवं श्रीमती तृप्ति सिंघल का समायोजन माननीय उच्च न्यायालय के आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय उमरेड, वैर, भरतपुर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वे दिनांक 01.08.2018 तक कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित करें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/याचिका/11820/2018

दिनांक 27.07.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा,राजस्थान सरकार जयपुर।
2. सम्बन्धित उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित कार्मिक/याचिकार्थी को आदेश की पालनार्थ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)